क्र. 10899/NREGS-MP/स्थापना/2009 झाबुआ, दिनांक 14/12/2009

:: कार्यालय जिला पंचायत झाबुआ (म.प्र.) ::

म.प्र. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिये उपयंत्री के नियोजन हेतु विज्ञापन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र., जिला झाबुआ एवं आलीराजपुर हेतु कुल 27 उपयंत्रियों के पदों की भर्ती संविदा आधार पर की जाना है। निम्न योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते है।

अ– किसी भी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा।

ब– निर्माण कार्य में अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी एवं आरक्षित वर्ग हेतु अनुभव में शिथिलता दी जावेगी।

स– अभ्यार्थियों का चयन अंकसूची, अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा।

द– संविदा उपयंत्रियों को वेतनमान 5000–8000 में न्यूनतम के वेतनमान पर एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता के योग के बराबर राशि के रूप में मासिक संविदा पारिश्रमिक देय होगा।

इ– रिक्त पदों की स्थिति परिषद् मुख्यालय स्तर से आरक्षण अनुसार निम्नानुसार है :–

अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल रिक्त पद
05	02	–	20	27

ई– आयु : अभ्यर्थी की आयु 21/12/2009 को 21 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आरक्षित अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जावेगी। सेवा निवृत्त उम्मीदवारों के चयन हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।

फ– आवेदन पत्र जिला पंचायत झाबुआ में **दिनांक 21/12/2009 तक** प्रस्तुत किये जा सकते है। निर्धारित दिनांक के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा। संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तो अनुसार रहेगी :–

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश/संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होगे।
2. सेवानिवृतत अधिकारी (अधिकतम आयु 65 वर्ष तक) को संविदा पर नियुक्त की दशा में संविदा वेतन के रूप में उसे प्राप्त अंतिम वेतन के बराबर देय राशि में से प्राप्त हो रही पेंशन की राशि को कम कर भुगतान की जावेगी।
3. संविदा के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिए होगी। संविदा में नियुक्त व्यक्ति का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम–1965 और उसमें किये गये अद्यतन संशोधनों द्वारा शासित होगा।
5. संविदा की कालावधि नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष के लिए होगी।
6. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण–पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र संबंधी मूल अभिलेख एवं दो फोटो प्रस्तुत करना होगे।
7. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार नियुक्ति प्राधिकारी के साथ रूपये 50/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करेगा (करार के निष्पादन पर होने वाले समस्त व्यय चयनित उम्मीदवार द्वारा वहन किये जायेगें)। इस नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ ही

साथ चयनित उम्मीद्वारों कोउसकी 03 माह के वेतन की धनराशि के समतुल्य राशि का बाण्ड भी भरकर कार्य पर उपस्थित होने के 07 दिन के भीतर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस बाण्ड के आधार पर उम्मीद्वार को शासन को यह गारंटी देनी होगी कि यदि वह संविदा नियुक्ति काल पूरा होने के पूर्व पद से त्याग–पत्र देकर अन्यत्र कोई पद ग्रहण करता है, तो वह उक्त बाण्ड में उल्लेखित धनराशि का देनदार होगा।

9. संविदा पर नियुक्त उम्मीद्वारों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष कि दिशा में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जायेगी।

10. दो (2) वर्ष की संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त कार्य कुशलता एवं किये गये कार्य के मूल्यांकन के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो आगामी वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

11. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी

12. संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक से 10 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।

13. संविदा पर नियुक्त अधिकारी को आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर संविदा सेवा समाप्त की जावेगी।

14. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्त प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

15. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को समय–समय पर सौपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी सम्पादित करने होगे।

16. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

17. संविदा पर नियुक्त अभ्यार्थी सक्षम अधिकारी को पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

18. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यात्रा भत्ते की सुविधा शासन के नियमानुसार देय होगी।

19. दो वर्ष सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने के बाद संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवा नियोजक/नियोक्ता के एक माह के पूर्व नोटिस के आधार पर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा/भुगतान कर समाप्त हो सकेंगी।

20. चयनित उम्मीद्वार, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा, यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण ओर बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है, तो बिना कारण बताऐं नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी।

21. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि पात्रता होगी।

22. संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचार भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

23. किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

24. उम्मीद्वार को निम्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। अन्य प्रारूप मान्य नहीं होगा।
संलग्न :— आवेदन का प्रारूप।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत झाबुआ (म.प्र.)

संविदा पर भरे जाने वाले उपयंत्री पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

(आवेदन निम्न प्रारूप अनुसार कागज पर सुस्पष्ट टंकित करा आवेदन पत्र प्रेषित करें)

स्व
प्रमाणित
फोटो
चिपकाये

1. आवेदक का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) ....
2. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित) ....
3. पुरूष/महिला ....
4. वर्तमान पता निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित) :
5. स्थाई पता :
6. जन्म तिथि (अंक सूची संलग्न करे) ....
7. दूरभाष/मोबाईल नम्बर ....
8. म.प्र. के मूल निवासी है : हाँ/नही
(प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
9. जाति (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जनजाति): ....
10. शैक्षणिक योग्यता :(केवल डिग्री/डिप्लोमा का विवरण दें)।

क्र.	परीक्षा	बोर्ड/विवि का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

* नोट :— (प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)।

11. अनुभव : अवधि .... वर्ष .... माह ....

क्रमांक	विभाग/संस्थान का नाम	अवधि

* नोट :— (प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

12. अन्य विशेष योग्यता (यदि कोई हो तो) :

प्रमाण–पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

स्थान :
दिनांक :
संलग्न : पत्र संख्या ....

हस्ताक्षर ....
आवेदक का पूरा नाम ....

---

* नोट :— आवेदन–पत्र जिला पंचायत झाबुआ (म.प्र.) जिला झाबुआ कार्यालय में निर्धारित दिनांक 21–12–2009 तक कार्यालयीन समय में जमा किये जावेगे।

:: कार्यालय जिला पंचायत झाबुआ (म.प्र.) ::

म.प्र. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिये उपयंत्री के नियोजन हेतु विज्ञापन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र., जिला झाबुआ एवं आलीराजपुर हेतु कुल 27 उपयंत्रियों के पदों की भर्ती संविदा आधार पर की जाना है। निम्न योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

अ– किसी भी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा।

ब– निर्माण कार्य में अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी एवं आरक्षित वर्ग हेतु अनुभव में शिथिलता दी जावेगी।

स– अभ्यार्थियों का चयन अंकसूची, अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा।

द– संविदा उपयंत्रियों को वेतनमान 5000–8000 में न्यूनतम वेतनमान पर एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महगाई भत्ता के योग के बराबर राशि के रूप में मासिक संविदा पारिश्रमिक देय होगा।

इ– रिक्त पदों की स्थिति परिषद मुख्यालय स्तर से आरक्षण अनुसार निम्नानुसार है :–

अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल रिक्त पद
05	02	–	20	27

ई– आयु : अभ्यार्थी की आयु 21/12/2009 को 21 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आरक्षित अभ्यार्थियों को शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जावेगी। सेवा निवृत्त उम्मीदवारों के चयन हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।

फ– आवेदन पत्र जिला पंचायत झाबुआ में **दिनांक 21/12/2009** तक प्रस्तुत किये जा सकते है। निर्धारित दिनांक के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने पर विचार नही किया जावेगा। **संविदा आवेदन का प्रारूप निम्नानुसार है। नियुक्ति की सेवा शर्तो एवं अन्य पूर्ण विवरण जिला पंचायत की वेबसाईट www.jhabua.nic.in एवं सूचना पटल पर भी देखा जा सकता है ।**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत झाबुआ (म.प्र.)

(आवेदन निम्न प्रारूप अनुसार कागज पर सुस्पष्ट टंकित करा आवेदन पत्र प्रेषित करें)

1. आवेदक का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) ....
2. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित) ....
3. पुरुष/महिला ....
4. वर्तमान पता निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित) : ....
5. स्थाई पता : ....
6. जन्म तिथि (अंक सूची संलग्न करें) ....
7. दूरभाष/मोबाईल नम्बर ....
8. म.प्र. के मूल निवासी है : हॉं/नही ....
   (प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
9. जाति (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जनजाति): ....
10. शैक्षणिक योग्यता :(केवल डिग्री/डिप्लोमा का विवरण दें) एवं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

स्व
प्रमाणित
फोटो
चिपकाये

क्र.	परीक्षा	बोर्ड/विवि का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

*** नोट :– (प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)।**

11. अनुभव : अवधि .... वर्ष .... माह ....

क्रमांक	विभाग/संस्थान का नाम	अवधि

*** नोट :– (प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)**

12. अन्य विशेष योग्यता (यदि कोई हो तो) :

<u>प्रमाण–पत्र</u>

मैं. प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

स्थान :
दिनांक :
संलग्न : पत्र संख्या ....

हस्ताक्षर ....
आवेदक का पूरा नाम ....